सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 155/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

प्रहलाद पुत्र रामधन जाति खाती निवासी काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

————प्रार्थी

♠बनाम♠

1. कालू पुत्र रामनारायण जाति खाती
2. रामरोज पुत्र रामनारायण जाति खाती
3. शंकरलाल पुत्र रामनारायण जाति खाती
4. सीमा पुत्री रामनारायण जाति खाती
5. काली पुत्री रामनारायण जाति खाती
6. लाली पुत्री रामनारायण जाति खाती
7. शान्ति पत्नि रामनारायण जाति खाती
8. कैलाश पुत्र रामधन जाति खाती
9. अशोक पुत्र रामधन जाति खाती
10. शिवकन्या पुत्री रामधन जाति खाती
11. सुशिला पुत्री रामधन जाति खाती
12. प्रेम पत्नि रामधन जाति खाती
    समस्त निवासीगण काचरिया तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान
13. उप पंजीयक कादेडा जिला अजमेर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी के जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 131 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.21 हैक्ट., 1706 रकबा 0.39 हैक्ट. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 12 का 1/2 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी को अप्रार्थीगण बिना बंटवारा किये जबरन कब्जा करना चाहते है व बैचान करने पर आमादा है जिसके कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण एवं उनके नोकर, चाकर, हाली, सीरी सगे सम्बन्धी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। ना ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात से बैदखल होना पडे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वकूलाय फरिकेन उपस्थित।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में पेश हुई जहां प्रार्थी/अप्रार्थीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुनने के बाद जाहिर हुआ कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्राईमाफेसाई केस होना पाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाके ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी के जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 131 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.21 हैक्ट., 1706 रकबा 0.39 हैक्ट. भूमि का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूलवाद निस्तारण होने तक प्रार्थी के हिस्से तक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, बैचान, बाधा उत्पन्न न करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी